

सहमति प्रकट की है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.24 में दिए निर्देशों की पालना में संशोधित तनकी संख्या 07 निम्न प्रकार से विरचित की जाती है कि -

"आया वादपत्र के पैरा संख्या 11 में बतायी राजस्व भूमि वादिनी व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का चला आ रहा है, जिससे घोषणा खातेदारी हक की वादिनी व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पक्ष में की जाकर वादिनी व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का काश्त कब्जेशुदा बंटशुदा घोषित करवाने का वादिनी को अधिकार है। विकल्प में वादपत्र के पैरा संख्या 11 में वर्णित राजस्व भूमि का बंटवारा वादिनी व प्रतिवादी संख्या 1 स 4 के वंशानुकम के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाने का वादिनी को अधिकार है।"

- वादिनी

उभय पक्षकारान को दिनांक 21.07.2025 को उपखण्ड अधिकारी, मड़ता के न्यायालय में उपस्थिति होने हेतु पाबंद किया जाता है। हस्तगत प्रकरण माननीय उच्चतम नयालय के शीघ्र निस्तारण की लक्षित पत्रावली संख्या 1 है। अतः उपखंड अधिकारी, मेडता को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि उक्त संशोधित तनकी का निस्तारण अतिशीघ्र किया जाकर पत्रावली पुनः इस न्यायालय में अविलंब पेश करें। पत्रावली वास्तु देखने पालना हेतु दिनांक 30.07.25 को पेश हो।

Gehrivastava
अपर जिला न्यायाधीश,
मेडता

30/7/2025

~~अप. 2455 के अधिवक्ता उपाधिकारी /
अप. 2455 अधिवक्ता मेडता से पत्रावली
प्राप्त नहीं हुई है अतः उक्त पत्रावली
दिनांक 30/7/2025 को पेश हो~~

अपर जिला न्यायाधीश
मेडता